मैसर्स काफली और पपोली सोपस्टोन माईन तहसील दुग नाकुरी जनपद बागेश्वर उत्तराखण्ड के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 29.07.2024 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।

मैसर्स काफली और पपोली सोपस्टोन माईन तहसील दुग नाकुरी जनपद बागेश्वर उत्तराखण्ड के सोप स्टोन माईनिंग (क्षेत्रफल 2.99 है0) हेतु प्रस्तावित पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना– 2006 यथासंशोधित के अंतर्गत आच्छादित है। उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रस्ताव के कम में उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, देहरादून द्वारा लोक सुनवाई की सूचना दैनिक समाचार पत्रों हिन्दुस्तान एवं टाइम्स ऑफ इण्डिया में दिनांक 26.02.2024 के अंकों में प्रकाशित की गयी थी। उपरोक्त के कम में क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी द्वारा लोक सुनवाई से सम्बन्धित परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध कराये गये परियोजना से सम्बन्धित ई0आई0ए0 रिपोर्ट व सारांश की प्रतियां जनसामान्य /इच्छुक संस्था के अवलोकनार्थ जिलाधिकारी कार्यालय बागेश्वर, जिला पंचायत कार्यालय बागेश्वर, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र बागेश्वर, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, बागेश्वर तथा क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून को प्राप्त कराई गयी तथा दिनांक 27.03.2024 को लोक सुनवाई प्रस्तावित की गई थी, किन्तु लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2024 की घोषणा के फलस्वरूप लोक सुनवाई स्थगित की गयी थी। पुनः राज्य बोर्ड द्वारा जनसुनवाई की सूचना दैनिक सामाचार पत्रों हिन्दुस्तान तथा हिन्दुस्तान टाइम्स के दिनांक 19.06.2024 के अंक में प्रकाशित करायी गयी थी। तदक्रम में अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर की अध्यक्षता में दिनांक 29.07.2024 को निकट परियोजना स्थल तहसील दुग नाकुरी जनपद बागेश्वर में लोक सुनवाई आयोजित की गयी। लोक सुनवाई में उपस्थिति संलग्नानुसार है।

सर्वप्रथम श्री हरीश चन्द्र जोशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, हल्द्वानी द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों तथा लोक सुनवाई के पैनल में नामित अध्यक्ष अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर तथा अन्य उपस्थित कार्मिकों का स्वागत किया गया तथा परियोजना के सम्बन्ध में अवगत कराते हुए अध्यक्ष महोदय से लोक सुनवाई प्रारम्भ करने की अनुमति चाही गयी।

अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर की अनुमति के उपरान्त लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। तदक्रम में परियोजना के पर्यावरण सलाहकार संस्था कॉग्नीजेन्स रिसर्च इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के श्री पी0एम0 जैन द्वारा द्वारा इकाई का विवरण प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया कि यह जनसुनवाठई ई0आई0ए0 नोटिफिकेशन 2006 केअन्तर्गत करायी जा रही है।

कमशः–2

प्रस्तावित परियोजना का खनन क्षेत्र ग्राम काफली और पपोली है तथा खनन क्षेत्रफल 2.99 है0 है तथा परियोजना के संबंध में विवरण प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि प्रस्तावित परियोजना को DEIAA के द्वारा दिनांक 09.05.2018 को पर्यावरण मंजूरी निर्गत की गयी थी जिसके तहत खनन कार्य किया जा रहा था, परन्तु मा0 एनजीटी के आदेशानुसार ईसी पुर्नमूल्यांकन के SEIAA में आवेदन किया गया। जिसके तहत लोक सुनवाई आयोजित की जा रही है। खनन ओपन कॉस्ट मैकेनाइज्ड विधि से किया जायेगा। प्रस्तावित परियोजना से 74 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा। धूल के दमन हेतु समय–समय पर पानी का छिड़काव किया जाएगा। प्रस्तावित परियोजा में पीने का पानी, धूल का दमन, पेड़ लगाने एवं शौचालय के लिए कुल 8.48 केएलडी पानी की आवश्यकता होगी पानी की आपूर्ति टैंकरों द्वारा की जायेगी। 01 अक्टूबर,2023 से 31 दिसम्बर,2023 तक के दौरान 08 स्थानों पर परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी की गई है। अध्ययन क्षेत्र के भीतर सभी मानक सीमा के भीतर पाये गये। खनन क्षेत्रान्तर्गत 04 स्थानों पर की गयी शोर की निगरानी कार्यक्रम के परिणामों दिन और रात के समय शोर का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर पाया गया। 03 भूजल नमूनों और 02 सतही पानी के नमूनों के विश्लेषण से निकले निष्कर्ष सभी स्त्रोतों से भूजल पीने के उद्देश्य के लिए उपयुक्त है। सतही जल विश्लेषण के नमूनों के अधिकांश पैरामीटर सी0पी0सी0बी0 के श्रेणी बी मानकों के अन्तर्गत हैं। खनन क्षेत्रान्तर्गत एकत्र किए गये मिट्टी के नमूने इंगित करते हैं कि मिट्टी रेतीली प्रकार की है। मिट्टी की प्रकृति क्षारीय है। खनन क्षेत्रान्तर्गत कोई भी सार्वजनिक भवन एवं स्मारक आदि नहीं हैं। जिससे खनन गतिविधियों में कोई विस्थापन सम्मिलित नहीं किया गया है। क्षेत्र में खनन गतिविधि का प्रभाव क्षेत्र के सामाजिक – आर्थिक वातावरण पर सकारात्मक है। प्रस्तावित खदान स्थानीय आबादी को रोजगार प्रदान करेगी। जिसमें स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। खनन क्षेत्रान्तर्गत वातावरण को प्रदूषण रहित रखने हेतु मात्र यूपीसी प्रमाण पत्र वाले वाहनों का ही संचालन किया जायेगा। खनन गतिविधियों और मशीनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले अस्थाई धूल, कण जो प्रमुख प्रदूषक है के दृष्टिगत ट्रकों और टिपरों का अच्छी तरह से रख–रखाव किया जायेगा। खनन के समय श्रमिकों की सुरक्षा को ध्यान रखते हुए डस्ट मास्क, ईयर प्लग आदि का उपयोग कराया जायेगा। हॉल रोड और लोडिंग स्थल पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा। खनन क्षेत्रान्तर्गत सड़कों, डंप आदि के आसपास हरित पट्टी/पौधारोपण किया जायेगा। खनन कार्य करते समय शोर स्तर की तुलना ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एण्ड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा निर्धारित मानकों के साथ की जाएगी जिस सरकार द्वारा अपनाया और लागू किया गया है। खनन क्षेत्रान्तर्गत ड्रिलिंग व ब्लास्टिंग नहीं की जायेगी।

क्रमशः–3

परियोजना से सतही जल विज्ञान और भूजल व्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। खनन से नदी के पानी, भूजल तथा अन्य किसी भी निकटतम जलाशय के पानी को कोई क्षति नहीं होगी। मानसून के समय खदान में एकत्रित पानी को पम्प की मदद से निकाला जायेगा और टैंकरों की मदद से पास के जल निकाय में प्रवाहित किया जायेगा। नालों में रेटाइनिंग वॉल और चैक डैम बनाये गये हैं एवं नाले के निचले हिस्से में सिलटेशन टैंक बनाया गया है जिससे खनन क्षेत्र से साफ पानी बाहर निकल जाय। विगत वर्षों में खनन क्षेत्रान्तर्गत एवं उसके आस–पास 2040 वृक्ष लगाये गये हैं। भविष्य में भी वन विभाग द्वारा चयनित स्थल, आस–पास के गांवों और कनैक्टिंग सड़कों पर स्थानीय प्रजाति के पौधों को लगाया जायेगा। परियोजना के माध्यम से पर्यावरण प्रबंधन हेतु पूजीगत लागत धनराशि रू0– 1.00 (लाख में) तथा पुनावर्ती लागत/वर्षवार धनराशि रू0– 8.10 (लाख में) का प्राविधान रखा गया है। इसी प्रकार सीईआर लागत के अन्तर्गत धनराशि रू0– 1.00 (लाख में) का प्राविधान प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटरों की स्थापना हेतु किया गया है। खनन क्षेत्रान्तर्गत मजदूरों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। क्षेत्र में खनन गतिविधि का प्रभाव क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक वातावरण पर सकारात्मक है। खनन गतिविधियों के प्रारम्भ होने के पश्चात ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार होगा, खदान में प्राथमिक चिकित्सा सुविधा के रूप में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी, यह चिकित्सा सुविधाएं आपात स्थिति में आस–पास के स्थानीय लोगों को भी उपलब्ध करायी जायेगी। खनन गतिविधियां पर्यावरण पर किसी भी महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव के आगे बढ़ सकती है। प्रस्तावित सोपस्टोन खदान स्थानीय आबादी को रोजगार प्रदान करेगी और जब भी जन शक्ति की आवश्यकता होगी, स्थानीय लोगों को वरीयता प्रदान की जायेगी। खनन गतिविधियों के दौरान पर्यावरण पर किसी भी महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव के बिना आगे बढ़ सकती है।

प्रस्तुतीकरण के उपरान्त प्रस्तावित सोप स्टोन खनन परियोजना के संबंध में उपस्थित जन समुदाय से उनके सुझाव, आपत्तियां एवं टीका–टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया। उपस्थित टीका टिप्पणी, विचार तथा सुझाव का विवरण निम्नवत हैः–

1. श्रीमती दीपा देवी (क्षेत्र पंचायत सदस्य) ग्राम जारती तहसील दुग नाकुरी बागेश्वर– सर्वप्रथम श्रीमती दीपा देवी द्वारा जनसुनवाई की अध्यक्षता कर रहे अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर, सहा0 वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0नि0 बोर्ड, हल्द्वानी एवं उपस्थित जनता का जनसुनवाई में स्वागत व अभिनन्दन करते हुए कहा गया कि काफली और पपोली में पट्टाधारक द्वारा जो पुनः खड़िया खनन का प्रस्ताव रखा गया है वह अच्छा है। पट्टाधारक एक सामाजिक व्यक्ति हैं,

क्रमशः–4

जिन्होंने खनन कार्य से क्षेत्रान्तर्गत के मन्दिरों के जीर्णोद्वार, वृहत वृक्षारोपण व
स्थानीय ग्रामीणों को अपनी परियोजना के माध्यम से अच्छा रोजगार, भूमि का
अच्छा मुआवजा दिया जा रहा है। जिससे वह अपने परिवार का अच्छे से
भरण--पोषण कर समाज में अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं।

2. श्रीमती गंगा देवी (ग्राम प्रधान पपोली) तहसील दुग नाकुरी बागेश्वर– श्रीमती
गंगा देवी ने जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारियों एवं जनता का स्वागत करते
हुए बताया गया कि यदि खनन कार्य नियमों के भीतर रहते हुए वैज्ञानिक
विधि से किया जाय तो इसके अनेक लाभ हैं। पट्टाधारक पूर्व से क्षेत्रान्तर्गत
खनन कार्य करते आ रहे हैं जिन्होंने अपनी परियोजना के माध्यम से स्थानीय
ग्रामीणों को रोजगार दिये जाने के साथ–साथ बच्चों की पढ़ाई हेतु विद्यालयों
में अध्यापकों की व्यवस्था कर, वृहत रूप से वृक्षारोपण किये जाने का कार्य
किया है। लॉकडाउन के समय में अन्य प्रदेशों से घर वापस आये युवाओं को
भी इनके द्वारा खनन के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया गया। भविष्य में
भी इसी तरह से पट्टाधारक श्री दीवान सिंह पपोला सहयोग की भावना से
क्षेत्रान्तर्गत कार्य करते रहें जिससे ग्रामीणों का घर परिवार आसानी से चल
सके। खनन कार्य होना चाहिए पट्टाधारक से अनुरोध है कि भू–स्खलन को
ध्यान में रखते हुए अपना खनन कार्य करें। तदक्रम में अध्यक्ष महोदय द्वारा
उपस्थित लोगों से सामाजिक हित के आलावा पर्यावरण के संबंध में अवगत
कराया तथा खनन होना चाहिए या नहीं तद संबंध में अपने विचार रखें।

3. श्री डुंगर सिंह पपोला (पूर्व ग्राम प्रधान पपोली) तहसील दुग नाकुरी बागेश्वर–
श्री डुंगर सिंह पपोला द्वारा बताया गया कि उनके ग्राम पंचायत अन्तर्गत 03
माईनें काफली और पपोली, शिखर लग्गा उडियार व एन0एस0 कारपोरेशन
माईनें संचालित है। पट्टाधारकों द्वारा क्षेत्रीय सामाजिक कार्यों में आर्थिक
सहयोग व वन पंचायतों में चौकीदार की व्यवस्था की गयी है। खनन से
जिला खनिज न्यास में जमा हो रही धनराशि से क्षेत्र को कोई लाभ नहीं हो
रहा है। वर्ष,2022 में एन0एस0 कारपोरेशन द्वारा 0.5 है0 भूमि में वृक्षारोपण
कर वृक्षों की सुरक्षा हेतु 2000 प्रतिमांह के वेतन पर चौकीदार को नियुक्त
किया गया है। वृक्षारोपण पर्यावरण के लिये अच्छा लाभ है। खनन कार्य का
समय–समय पर अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाना आवश्यक है। तदक्रम
में श्रीमती गंगा देवी द्वारा पुनः कहा गया कि अध्यक्ष महोदय के संज्ञान में यह
तथ्य लाये जाने है कि उनके द्वारा गांव के विकास हेतु 04 प्रस्ताव तैयार कर
जिला खनिज न्यास में उपलब्ध धनराशि से कराये जाने हेतु जिला कार्यालय
को प्रेषित किये गये परन्तु समय–समय पर आहूत होने वाली जिला खनन
न्यास की बैठक के संबंध में कोई भी जानकारी कार्यालय द्वारा नहीं दी जाती
है जिससे विकास कार्य अवरुद्ध हो रहे हैं।

क्रमशः–5

4. श्रीमती तृप्ति ग्राम काफली पपोली तहसील दुग नाकुरी बागेश्वर– श्रीमती तृप्ति द्वारा बताया गया कि खनन का सबसे बड़ा उद्देश्य भूमि के अन्दर छिपे मिनरल्स को समय से बाहर निकालकर राज्य व देश के राजस्व में वृद्धि करना है। यदि खनन खान नियमों के भीतर रहकर वैज्ञानिक विधि से किया जाता है तो खनन के कई लाभ है यदि खनन अवैज्ञानिक विधि से नियम विरूद्ध किया जाता है तो इसके परिणाम गम्भीर होते हैं। खनन से स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। पट्टाधारक एक सामाजिक व्यक्ति हैं जिनके द्वारा गरीबों की शादी–विवाह में आर्थिक सहयोग, मंदिरों के निर्माण में सहयोग, धूल से पर्यावरण व ग्रामीणों के जीवन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े आवश्यकतानुसार पानी का छिड़काव का कार्य किया जाता है। खनन राष्ट्र के विकास के लिए अनिवार्य है। पट्टाधारक भविष्य में भी आर्थिक कार्यों हेतु अपना योगदान की अपेक्षा की गयी है।
5. श्री पूरन सिंह खाती ग्राम जारती तहसील दुग नाकुरी बागेश्वर– श्री खाती द्वारा बताया गया कि वह खनन क्षेत्रान्तर्गत के भूमिधारी हैं, खनन कार्य से वह परेशान है। खनन कार्य से शोषण होता है। पट्टाधारक को खनन कार्य हेतु पट्टा मिला हुआ है, परन्तु वह उसका सही से इस्तेमाल करें। क्षेत्रान्तर्गत एन0एस0 कारपोरेशन सबसे बड़ी माईन के रूप में कार्य कर रही है जिसके द्वारा क्षेत्रान्तर्गत बहुत नुकसान किया जा रहा है परन्तु कोई भी सुनने वाला नहीं है। तद्क्रम में अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा संबंधित के विरूद्ध शिकायत देने की अपेक्षा की तथा लोगों से खनन होने व न होने के संबंध में जानना चाहा।
6. श्री कृष्णा पपोला ग्राम काफली तहसील दुग नाकुरी बागेश्वर– श्री कृष्णा द्वारा बताया गया कि पट्टाधारक के खनन कार्य से पेयजल लाईनें ध्वस्त हो चुकी हैं। शिकायतों पर कोई भी सुनवाई उच्च स्तर पर नहीं हो रही है। खनन से पेयजल की समस्या बनी हुई है। धूल के दमन हेतु पानी का छिड़काव नहीं किया जा रहा है, नालियां नहीं बनी हैं। खनन से क्षेत्रान्तर्गत काफी नुकसान किया जा रहा है यदि अधिकारीगण इसका स्थलीय निरीक्षण कर ले तो उन्हें स्वंय पता चल जायेगा।
7. श्री हरीश सिंह पपोल ग्राम पपोली तहसील दुग नाकुरी बागेश्वर– श्री हरीश सिंह द्वारा बताया गया कि शिखर माईन आवासीय भवनों से 20 मी0 के दायरे पर चल रही है खनन पिट गहरे होते जा रहे हैं। आवासीय भवनों में दरारें आ रही हैं। पट्टाधारक द्वारा कोई भी सुरक्षात्मक कार्य नहीं किये जा रहे हैं। इस खनन माईन से खतरा उत्पन्न हो चुका है।
8. श्रीमती जीवन्ती देवी ग्राम काफली पपोली तहसील दुग नाकुरी बागेश्वर– श्रीमती जीवन्ती देवी द्वारा स्थानीय भाषा में अवगत कराया कि पट्टाधारक 23 वर्ष से सहयोग दे रहें है उनका विकास खनन कार्य से हुआ है। खेती से कोई भी फायदा नहीं हो रहा है।

क्रमशः–6

गांव का विकास खनन कार्य से ही सम्भव है। गांव में बेरोजगारी है रोजगार
के दृष्टिगत खनन कार्य होना चाहिए। हमें पट्टाधारक का सहारा है, आगे भी
कार्य होना चाहिए तथा अपेक्षा की कि पट्टाधारक सामाजिक कार्यों में
आर्थिक सहयोग करते रहेंगे।

9. श्री राम सिंह काफली तहसील दुग नाकुरी बागेश्वर– श्री राम सिंह द्वारा
बताया गया कि उनका आवासीय भवन माईन क्षेत्र के प्रारम्भिक छोर पर है।
धूल के कारण उनके परिवार के स्वास्थ्य व दैनिक कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव
पड़ रहा है। इसका समाधान होना चाहिए।

10. श्री माधो सिंह पपोला ग्राम काफली तहसील दुग नाकुरी बागेश्वर– श्री माधो
सिंह द्वारा बताया गया कि खनन परियोजना से रोजगार सहायता मिलती है
खनन कार्य से ग्रामीणों को उनकी कार्य कुशलता के आधार पर रोजगार प्राप्त
होता है इसलिए खनन कार्य होना चाहिए।

11. श्री दीवान सिंह पपोला (पट्टाधारक)– पट्टाधारक द्वारा जनसुनवाई की
अध्यक्षता कर रहे अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर, सहा0 वैज्ञानिक अधिकारी,
उ0प्र0नि0बोर्ड, हल्द्वानी, जनप्रतिनिधि, उपस्थित मातृ शक्ति व सम्भ्रान्त जनता
का जनसुनवाई में अभिनन्दन करते हुए कहा गया कि खनन कार्य से मात्र
वही लोग विरोध कर रहें है जिनके खेतों में खनन कार्य नहीं हो रहा है और
उन ही लोगों को परेशानी हो रही है। सीईआर फण्ड से मंदिर में धर्मशाला
का निर्माण, प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक की व्यवस्था, विद्यालयों में चटाई,
फर्नीचर, खेल सामग्री का वितरण आदि व खनन परियोजना से 30–40 लोगों
को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराया गया है। पर्यावरण संरक्षण के
दृष्टिगत विगत 05 वर्षों में क्षेत्रान्तर्गत 5000 पौधों को लगाकर ताड़–बाड़ की
जा चुकी है। खनन कार्य से उत्पन्न धूल के कणों की रोकथाम के लिए
नियमित रूप से पानी का छिड़काव कर धूल दमन का कार्य किया जाता है।
पूर्व में खनन कार्य से प्रभावित होने वाले आवासीय भवनों को विभिन्न स्थानों
पर भूमि कय कर आवासीय भवनों का निर्माण उनके द्वारा किया गया है।
तदकम में अध्यक्ष महोदय द्वारा परियोजना प्रस्तावक से खनन से उत्पन्न होने
वाली धूल के दमन हेतु नियमित रूप से अपेक्षित स्थलो पर पानी का
छिड़काव कर समाधान करने, आवासीय भवनों से निर्धारित दूरी के उपरान्त
खनन कार्य किये जाने, यदि खनन कार्य उपरान्त किसी आवासीय भवन को
खतरा उत्पन्न हो जाता है तो सुरक्षा के दृष्टिगत तत्काल विस्थापन की
कार्यवाही, खनन से पेयजल लाईन, प्राकृतिक जल स्त्रोत, रास्ते आदि जो भी
क्षतिग्रस्त हो का तत्काल पुर्ननिर्माण कराये जाने की अपेक्षा की गयी।

जनसुनवाई के कम को आगे बढाते हुए सहायक वैज्ञानिक
अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड हल्द्वानी द्वारा उपस्थित लोगों से
पुनः सुझाव/आपत्तियों हेतु अनुरोध किया गया तथा कहा गया कि

कमशः–7

आपसे प्राप्त सुझावों/आपत्तियों को जनसुनवाई के कार्यवृत्त में सम्मिलित किया जायेगा। आपसे प्राप्त सुझाव/आपत्तियां प्रस्तावित परियोजना के संबंध में महत्वपूर्ण हो सकते है।

अन्य सुझाव/टिप्पणियॉ प्राप्त न होने पर परियोजना प्रस्तावक एवं उपस्थित सभी कार्मिकों एवं क्षेत्रवासियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए लोक सुनवाई का समापन किया गया।

उक्त जन सुनवाई की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की गयी है तथा उपस्थित जन समुदाय की उपस्थिति दर्ज पंजिका की गयी।

(हरीश चन्द्र जोशी)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी,
उ0प्र0नि0 बोर्ड, हल्द्वानी।

(एन0एस0 नबियाल),
अपर जिलाधिकारी
बागेश्वर।